(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-10-91 के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान (4.7.92 तक) भरी गई रिक्तियों और अभी भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**)। जिन रिक्तियों को अभी भरा जाना है, उनके मामले में, संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/रोजगार कार्यालयों को मांग-पत्र भेजने, समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन देने सहित सभी कदम उठाए जा चुके हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को निपटाने के लिए चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के दौरान भरी गई तथा अभी भरी जाने वाली रिक्तियों का विवरण (4.7.92 को)।

पदों की श्रेणी	भरे गए पदों की संख्या		अभी भरे जाने वाले पदों की सं०	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप "क" .	14	7	7	3
ग्रुप "ख" .	5	4	6	13
ग्रुप "ग" .	770	699	156	290
ग्रुप "घ" .	6	16	—	—

राष्ट्रीय नागरिक सेना

645. **श्री अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विद्रोह, आन्तरिक अशान्ति और आतंकवाद का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेना का गठन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

National policy on militants

646. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether with the unabated violent activities of the militants in the country and with the experience gained in dealing with their activities, Government have considered desirability of having a national policy on militants;

(b) if so, what are the details thereof stating the decision if any, taken by Government in this regard; and

(c) if answer to part (a) above be in the negative, whether Government propose to consider the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The Government is fully aware of the situation created by the terrorist elements in the country and is determined to ensure that a durable climate of peace and stability prevails throughout the country. The policy of the Government is to deal firmly with the terrorist elements in the country and simultaneously step up socio-economic development in the affected areas to redress the genuine grievances of the people. Various steps are being taken in this direction with close cooperation of the State Governments.

संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्रों का उत्तर न दिया जाना

647. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों को संसद सदस्यों से कितने-कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने पत्रों आदि की पावती 15 दिनों के भीतर भेजी गयी और कितने पत्रों का अन्तिम उत्तर अभी तक नहीं भेजा गया है ;

(ग) पत्रों की पावती समय पर न भेजे जाने तथा पत्रों का अन्तिम उत्तर तीन महीनों के भीतर न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे कितने अधिकारी हैं जो न केवल पावती या अन्तिम उत्तर न भेजने के लिये ही वरन संसद सदस्यों को गुमराह करने के लिये भी जिम्मेदार हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) पिछले छः महीनों के दौरान (जनवरी, 1992 से जून, 1992 तक) इस मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों के कुल मिलाकर 3627 पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त किए गए। जब भी कोई पत्र प्राप्त होता है तो उसकी पावती निश्चित रूप से भेजी जाती है। दिनांक 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार, 1382 पत्रों के अंतिम उत्तर नहीं भेजे गए। इनमें से 733, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन से संबंधित हैं जिन पर राज्य सरकार के साथ परामर्श किए जाने की आवश्यकता है तथा वे पुराने रिकार्ड के संदर्भ में हैं। 333 पत्र कानून और व्यवस्था की समस्या से संबंधित हैं जिनके लिए संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जानी है। स्थानान्तरण तथा तैनाती से संबंधित 180 पत्रों के बारे में केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधीन विभिन्न इकाइयों/संगठनों से सूचना एकत्र की जानी है। अंतिम रूप से जवाब देने से पहले विभिन्न एजेंसियों से सूचना एकत्र करनी है तथापि, संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण कुछ समय का विलम्ब होने से इंकार नहीं किया जा सकता। संबंधित एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर कम से कम समय में वास्तविक सूचना देने के प्रयास सभी स्तरों पर किए जाते हैं।

648. *[Transferred to the 27th July, 1992.]*

Review of the constitution

649. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: